



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।
(जिला भू-अर्जन शाखा)

ई-मेल:-dlao-giridih@jharkhandmail.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति



राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-०२ के छः लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत निम्नांकित अवार्ड अज्ञात घोषित है :-

क्रमांक	अंचल का नाम	मौजा का नाम	अवार्ड सं०	प्लॉट सं०	किस्म	रकबा (एकड़ में)	राशि
1	बगोदर	बगोदर (छुटे हुए प्लॉट)	04	5107	कृषि	0.0306	502627.95
2	बगोदर	जरमुने (छुटे हुए प्लॉट)	02	2312	कृषि	0.0025	112586.72
3	बगोदर	जरमुने (छुटे हुए प्लॉट)	04	2879	कृषि	0.0025	112586.72
4	बगोदर	हेसला (छुटे हुए प्लॉट)	04	2079	कृषि	0.0100	166980.00
5	डुमरी	रांगामाटी (छुटे हुए प्लॉट)	06	1155/6	कृषि	0.0050	74870.27
6	डुमरी	रांगामाटी (छुटे हुए प्लॉट)	14	1155/14	कृषि	0.0150	224610.82
7	डुमरी	रांगामाटी (छुटे हुए प्लॉट)	15	1155/15	कृषि	0.0045	67383.25
8	डुमरी	रांगामाटी (छुटे हुए प्लॉट)	16	1155/16	कृषि	0.0040	59896.22
7	डुमरी	रांगामाटी (छुटे हुए प्लॉट)	20	1155/20	कृषि	0.0030	44922.16
8	डुमरी	रांगामाटी (छुटे हुए प्लॉट)	24	1155/24	कृषि	0.0040	59896.22
9	डुमरी	रांगामाटी (छुटे हुए प्लॉट)	25	1155/25	कृषि	0.0040	59896.22
10	डुमरी	रांगामाटी (छुटे हुए प्लॉट)	26	1155/26	कृषि	0.0040	59896.22
कुल :-						0.0891	1546152.77

इस प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सारणी में अंकित भूमि के मुआवजा भुगतान का दावा करने हेतु भूमि संबंधी कागजात प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन के सात दिनों के अन्दर संबंधित रैयत जिला भू-अर्जन कार्यालय, गिरिडीह में अचूक रूप से समर्पित करें। निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बाद किसी प्रकार का दावा/आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा एवं The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement ACT 2013 की धारा 64 एवं 77(2) के आलोक में मुआवजा राशि L.A. कोर्ट, हजारीबाग भेज दिया जायेगा, जिसके लिए संबंधित रैयत स्वयं जिम्मेवार होंगे।

ज्ञापांक सं०सं०...../NH/१८०/ भू० अ०, दिनांक 26/07/2021

- प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को Soft Copy के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन सभी दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट किया जाय।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस प्रेस विज्ञप्ति को गिरिडीह जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.giridih.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट किया जाय।
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, डुमरी/बगोदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि इस प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- श्री मनोज कुमार, अमीन/श्री विनय कुमार पटेल, अमीन/श्री तुथा किस्कू, अमीन/कानूनगो, जिला भू-अर्जन कार्यालय, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- परियोजन निदेशक, NHAI, काण्डा गोविन्दपुर, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गिरिडीह को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
गिरिडीह।

24.07.2021